न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : वंदना सिंघवी, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 477/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– अमराराम पुत्र गुणेशाराम 2– मोतीराम पुत्र गुणेशाराम 3– खेताराम पुत्र गुणेशाराम 4– गेनाराम पुत्र गुणेशाराम सभी जातियान जाट निवासीगण इशरोल तहसील चौहटन जिला बाडमेर		1– नानगाराम पुत्र विरधाराम 2– तिलोकाराम पुत्र विरधाराम 3– मदाराम पुत्र विरधाराम 4– मानाराम पुत्र विरधाराम सभी जाति दर्जी निवासीगण ईशरोल, तहसील चौहटन जिला बाडमेर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सेडवा जिला बाडमेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 1–6–2015 जो राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 242/2014 मे न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री रोशनलाल विश्नोई अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से।
3– राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 28–2–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 से 4 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा का खेत मौजा ईशरोल पटवारी हल्का ईशरोल तहसील चौहटन के खेत खसरा नंबर 693/407 रकबा 84.09 बीघा, खसरा नंबर 680/349 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 682/349 रकबा 0.08 बीघा तथा विप्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 694/407 रकबा 94.13 बीघा आया हुआ है । उक्त वादग्रस्त आराजी मूल खसरा नंबर 349/2407 की भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण को जरिये पंजीकृत दस्तावेज के खरीद की थी । बाद मे खरीदसुदा भूमि मे अपने –अपने 1/2–1/2 हिस्से के अनुसार बंटवाडा करवा कर खेत खसरा संख्या 693/407 रकबा 84.09 बीघा, खसरा नंबर 680/349 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 682/39 रकबा 0.08 बीघा एवं विप्रार्थीगण का खेत खसरा नंबर 694/07 रकबा 94,13 बीघा भूमि की राजस्व कर्मचारियो द्वारा अलग अलग मौके पर तरमीम की गई लेकिन राजस्व कर्मचारियो ने तरमीम करते समय मौके पर तरमीम गलत कर दी । राजस्व कर्मियो द्वारा तरमीम करते वक्त मौके पर प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 693/407 रकबा 84.09 बीघा, खसरा नंबर 680/349 रकबा 7.19 बीघा, खसरा नंबर 682/349 रकबा 0.08 बीघा की जगह 103.13 बीघा की तरमीम कर दी, जो गलत की गई है, जिसे दुरस्त करने का निवेदन किया ।

जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 1–6–2015 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26, 27–10–14 एवं 13–2–2015 अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश पारित करने के निर्देश तहसीलदार चौहटन को पारित कर दिये, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की है ।

वकील पक्षकारान उपस्थित । उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायिक प्रकिया का दुरूपयोग करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन था तथा पक्षकारान की ओर से उनके अधिवक्ताओ द्वारा पैरवी की जा रही थी तथा पत्रावली तहसीलदार की रिपोर्ट के इंतजार मे थी तो यकायक पत्रावली को राजस्व शिविर मे ले जाकर निर्णित करना विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि प्रस्तुत प्रकरण मे पूर्व की तरमीम सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन का वाद संख्या 405/93 मे दिनांक 22–8–1997 को पारित विभाजन की अंतिम डिक्री की पालना मे की गई थी तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 को यदि कोई ऐतराज था तो उस डिक्री के विरूद्ध अपील करनी चाहिये थी । वकील अपीलांट ने कथन किया कि यदि रेस्पो0 को पूर्व की तरमीम मे किसी प्रकार की दुरस्ती करने की आवश्यकता महसुस हुई तो पूर्व निर्णित पत्रावली को तलब कर उसका अवलोकन करने के बाद ही कोई आदेश पारित किया जाना चाहिये था परंतु ऐसा नही कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के जरिये सक्षम न्यायालय द्वारा विभाजन की डिक्री को ही निष्प्रभावी कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्याायलय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे प्रस्तुत प्रथम फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 27–10–2014 पर आपत्ति प्रकट करने पर अन्य मौका रिपोर्ट दिनांक 25–3–2015 को तैयार की गई । उक्त मौका रिपोर्ट भी पटवारी ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट को नोटिस जारी किये बिना अपीलांट की अनुपस्थिति मे तैयार करके पेश कर दी जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे तरमीम कर दिये जाने से पक्षकारान के बीच कब्जे संबंधी नया विवाद उत्पन्न हो जायेगा तथा अपीलांट के खेत मे आवागमन का रास्ता बंद हो जायेगा इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि विप्रार्थीगण (वर्तमान अपीलांट) के खातेदारी की भूमि मौके एवं नक्शा ट्रेस के अनुसार 94.13 बीघा के स्थान पर 102 बीघा

तरमीम की हुई है, जो 8.13 बीघा ज्यादा होने से अधीनस्थ न्यायालय ने मौका रिपोर्ट तलब कर जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया । रेकर्ड पर उपलब्ध म्युटेशन संख्या 558 ग्राम इशरोल का अवलोकन किया गया जो कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 405/93 मे पारित निर्णय दिनांक 22–8–97 मे बंटवाडा प्रस्ताव के संदर्भ मे स्वीकृत किया गया था जिसकी पुश्त पर वर्ष 1997 मे तरमीम की गई थी, जो तरमीम वर्ष 1997 से चली आ रही थी जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष रेस्पो0गण द्वारा प्रस्तुत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट तलब कर रेस्पो0गण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 26, 27–10–14 एवं 13–2–2015 अनुसार तरमीम शुद्धि के आदेश पारित करने के निर्देश तहसीलदार चौहटन को पारित कर दिये, जबकि तहसीलदार चौहटन द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अपीलांटगण की अनुपस्थिति मे एकतरफा तैयार की जाना पाया जाता है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय न्याय समर्थन योग्य नही होने से उसे निरस्त किया जाता है तथा अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि उपखण्ड अधिकारी गुडामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 405/93 मे पारित निर्णय दिनांक 22–8–97 मे बंटवाडा प्रस्ताव के संदर्भ मे स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 558 की पुश्त पर बने राजस्व नक्शे के रकबे की जांच की जाये, जिसमे यह देखा जाये कि नामांतरकरण की पुश्त पर की गई तरमीम तथा जमाबंदी मे दर्ज रकबें मे कोई अंतर है या नही । यदि जमाबंदी एवं नामांतरकरण की पुश्त पर दर्ज की गई तरमीम के रकबे मे अंतर पाया जाता है तो दोनो पक्षो की सुनवाई की जाकर राजस्व रेकर्ड, बंटवाडा प्रस्ताव मे अंकित रकबे तथा मौकें पर कब्जे के आधार पर पुनः नये सिरे से तरमीम की विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 28–2–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(वंदना सिंघवी)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर